

365

241

न्यायालय श्री मान् राजस्व बोर्ड ग्वालियर, सर्किट कोर्ट-रीवा,

जिला-रीवा & म०प्र०

क्रिा-1803-III-14



5 पाठक
नांक-25-4-14
बना

सर्किट कोर्ट रीवा-राघवेन्द्र प्रताप तिवारी, | दोनो के पिता अवधशरण
02-रविन्द्रनाथ तिवारी, | तिवारी,

दोनों निवासी ग्राम-हर्दिहा-1054, तहसील-न्हगढ़ी,

जिला-रीवा & म०प्र० ----- आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम्

रामसजीवन तनय अवध शरण ब्रा०, निवासी ग्राम-हर्दिहा

तहसील-न्हगढ़ी, जिला-रीवा & म०प्र० --अना०/गैरनिगा०कर्ता

1952
द्वारा आज़
को प्राप्त

निगरानी तहसीलदार प्रभारी-रामपुर, तह०
न्हगढ़ी, जिला-रीवा & म०प्र० के प्रकरण क्र०
-03/ए-5/2013-2014 आदेश दिनांक-
-17.02.2014 अंतर्गत धारा-50 म०प्र०ध०
राजस्व संविता-1959 ई० ।

मान्यवर,

निगरानी आवेदन-पत्र के आधार निम्न है: ---

01/- यह कि अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार प्रभारी
रामपुर, तहसील-न्हगढ़ी, जिला-रीवा & म०प्र० ने भूमि ख०न०
1/2घ रकवा 1.00 ए०, स्थित ग्राम-त्रोहाई काटन, रा०नि०
मण्डल-रामपुर, तहसील-न्हगढ़ी की भूमि का गलत चौहद्दी
एवं बिना जाँच किये पटवारी से गलत तर्मीम वा प्रतिवेदन

श्री ३३ जय शिवारी

241

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.1803-तीन/14 जिला सीवा

राधवेन्द्र प्रसाद तिवारी विरुद्ध रामसजीव शर्मा

1	2	3
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>राधवेन्द्र प्रसाद तिवारी</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ नयाब तहसीलदार तहसील <u>रामपुर कचुं</u> के प्रकरण क्रमांक <u>03/अ.5/13-2014</u> में पारित आदेश दिनांक <u>17-02-14</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, <u>सीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>29-3-19</u> को कलेक्टर <u>सीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	




सदस्य